

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/

दिनांक :- 29 अगस्त 2012

शुद्धि पत्र

आदेश संख्या 163/2012-13 दिनांक 27 अगस्त 2012 के क्रम संख्या 6 के कालम संख्या 4 में "पंचायत समिति सरदार शहर (चूरु) " के स्थान पर "परियोजना प्रबन्धक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जिला परिषद, चूरु" पढा जावे ।


निदेशक

क्रमांक: एफ. 3 (ख) (1) अलेसे-11/ 9264-70 दिनांक :- 29 अगस्त 2012
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय जयपुर को दिनांक 29.08.2012 को दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रेषित है ।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सरदारशहर (चूरु)
3. परियोजना प्रबन्धक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जिला परिषद, चूरु
4. विशोषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. उपकोषाधिकारी, राजगढ़, (चूरु)
6. श्री रामकुमार लाखलान, लेखाकार (आदेशों की प्रतीक्षा में) उपकोषालय राजगढ़, जिला चूरु
7. निजी सहायक निदेशक
8. निजी पत्रावली


सयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)